तत्काल

**कार्यालय आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश**
**17. न्यू बेरी रोड, डाली बाग, लखनऊ**
**टोल फ्री न.– 1800 121 3203, email-cecaneup@gmail.com**

पत्र संख्या 144/C /12–निर्माण/अ.ग्रा.– दिनांक 20-05-2019

1–समस्त जिला गन्ना अधिकारी, उ.प्र.।
2–समस्त उप गन्ना आयुक्त, उ.प्र.।

विषय–विभागीय भवनों की साफ–सफाई एवं अनुरक्षण के संबंध में।

कृपया अधोहस्ताक्षरी द्वारा परिक्षेत्र मेरठ एवं सहारनपुर के भ्रमण के दौरान सहकारी गन्ना विकास समिति, मोदीनगर, दौराला तथा खतौली के भवनों का निरीक्षण किया गया तथा अनुभव किया गया कि मात्र भवनों की आन्तरिक व प्रांगण की वाह्य सफाई पर ही ध्यान दिया जाता है किन्तु छतों की सामायिक साफ–सफाई एवं मरम्मत उपेक्षित रहती है, भवनों की छतों पर पेड़ों के जमाव एवं पानी निकासी वाले पाइपों में कचरा फंस जाने के कारण छतों में पानी भर जाता है जिसके कारण नीचे के कमरों एवं अन्य स्थानों में सीलन के साथ पानी टपकता है, परिणाम स्वरूप भवन कमजोर हो जाता एवं प्लास्टर गिरने लगता है, जिस पर अनावश्यक खर्च भी आता है।

साफ–सफाई एवं अनुरक्षण में व्याप्त कमियों के दृष्टिगत विभागीय भवनों की साफ–सफाई एवं सामान्य मरम्मत सुनिश्चित कराने हेतु निम्न निर्देशों का अनुपालन कराया जाना अति–आवश्यक हैः–

1– विभाग के सभी गन्ना विकास समितियों, परिषदों, जिला गन्ना अधिकारी/उप गन्ना आयुक्त कार्यालयों/आवासों, दुकानों एवं गोदामों आदि की प्रत्येक वर्ष उच्च स्तरीय नियमित सफाई/अनुरक्षण सुनिश्चित किया जाय।

2– प्रायः छतों पर धूल, मिट्टी की परत जमा होने के कारण घास उग आती है, वर्षा होने पर नमी हो जाने के कारण छतों में सीलन परिलक्षित होती है, अतः छतों की नियमित/वर्षा पूर्व साफ–सफाई अवश्य ही करायी जाय जिससे वर्षा का पानी रूकने न पाये।

3– पानी की निकासी हेतु खुर्रा/स्पाउट/रेन वाटर पाइप्स प्रायः धूल, मिट्टी एवं पत्तियों से चोक हो जाते है जिन्हें नियमित रूप से साफ किया जाय।

4– छतों एवं दीवारों पर उगने वाले पौधें यथा पीपल, बरगद, पाकड आदि को जमतें ही उखडवा दिया जाय, अन्यथा इनकी जड़ों से छतें तथा दीवारें क्रैक हो जाती है। यदि पूर्व में लापरवाही वश उक्त पेड़ बड़े हो गये है तो उन्हें कटवाने के साथ–साथ उनकी जड़ों में मरकरी डाल दी जाय जिससे वह पूरी तरफ नष्ट हो जाय।

5– छतों पर स्थित पानी की टंकियों की नियमित सफाई सुनिश्चित की जाये तथा ओवरफ्लो एवं लीकेज़ रोका जाय, जिससे छत पर जलजमाव न होने पाये और काई न लगे।



Scanned by CamScanner

6— छतों की सामयिक सामान्य मरम्मत स्थापित तकनीकी मापदण्डों के अनुरूप प्राथमिकता पर करायी जाय।

7— नालियों/ड्रेन्स/सीवर की भी नियमित एवं वर्षा पूर्व सफाई अवश्य ही करायी जाय।

8— रेन वाटर हार्वेस्टिंग उपविधियों के अनुरूप भवनों की छतों पर पानी का सम्पूर्ण उपयोग ग्राउन्ड वाटर रिचार्ज हेतु सुनिश्चित कराया जाय।

समस्त जिला गन्ना अधिकारी/उप गन्ना आयुक्त उपरोक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये, निरीक्षण कर अनुपालन आख्या संयुक्त गन्ना आयुक्त (समिति), मुख्यालय को एक माह में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

(संजय आर. भूसरेड्डी)
आयुक्त,
गन्ना एवं चीनी, उत्तर प्रदेश

पृष्ठांकन संख्या 144/C /तददिनांक।

प्रतिलिपि उपरोक्त के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित—

1—विशेष सचिव, उत्तर प्रदेश शासन, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास अनुभाग—1, को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि कृपया गन्ना आयुक्त एवं प्रमुख सचिव, चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास विभाग, उ.प्र शासन द्वारा दिये गये उपर्युक्त निर्देशों का अनुपालन चीनी उद्योग एवं गन्ना विकास के अन्य अधीनस्थ संस्थाओं के भवनों के साफ सफाई/अनुरक्षण में भी सुनिश्चित कराने हेतु निर्देश जारी कराने का कष्ट करें।

2—संयुक्त गन्ना आयुक्त (समिति), कार्यालय गन्ना एवं चीनी आयुक्त, उ.प्र.।

2/5/19

(राकेश कुमार श्रीवास्तव)
मुख्य अभियन्ता
कार्यालय आयुक्त, गन्ना एवं चीनी, उ.प्र.

Scanned by CamScanner